

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 03/06/2025

संख्या-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड)- 2462 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था
नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-02.04.2025 को आयोजित बैठक
की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग
के निम्नांकित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के
पद पर उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया
जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	मूल पद
1	2	3
1	श्री शिव शंकर चौधरी, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा)	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
2	श्री सुफियान अहमद, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, गया।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
3	श्री अजय शंकर, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
4	श्री कर्मवीर प्रसाद द्विवेदी, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
5	श्री बृज किशोर सिंह, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, भोजपुर।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
6	श्री जय प्रकाश सिंह, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, पटना।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
7	श्री अवलम्ब नारायण मिश्र, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, समस्तीपुर।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
8	श्री बाल कृष्ण गोपाल, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, पूर्णियाँ।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
9	श्री संजय कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, लखीसराय।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
10	मो० ग्यासुद्दीन, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, पटना।	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।



- 2001
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
 4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
 5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-7142/2025 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
 6. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
 7. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) के पद पर उत्क्रमित किया जाता है।
 8. उपर्युक्त पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार "मुकुल")

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था० (2) 06/2023 (खंड)- 2463 /पटना-15, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि:-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था० (2) 06/2023 (खंड)- 2463 /पटना-15, दिनांक- 03/06/2025

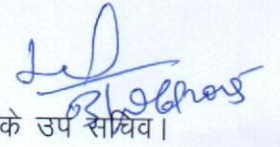
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना में अंकित पदाधिकारियों को जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के, विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित दी गयी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के संबंध में सम्पुष्ट होने के पश्चात् (वेतन स्तर-9 के संबंध में) वेतन निर्धारण/वेतन पूर्जा निर्गत करेंगे।

सरकार के उप सचिव।

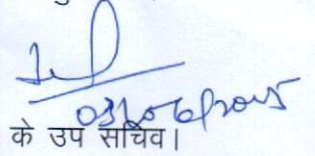
ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड)- 2463 /पटना-15, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/संबंधित संयुक्त मत्स्य निदेशक/संबंधित उप मत्स्य निदेशक/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड)- 2463 /पटना-15, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।